बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

प्रेषक,

संख्या – 179

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 19/02/2020

विषय – रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि० द्वारा जमुई एवं बाँका जिलान्तर्गत झाझा–कटोरिया पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.37812 हे० वन भूमि का "स्टेट कॉर्डिनेटर, बिहार, पटना के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.09.2015 के आलोक में एवं बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, के पत्रांक 642 (ई०) दिनांक 30.05.2018 तथा पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा निजी एजेंसियों के लिये भी अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोपरान्त स्वीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

2. रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि0 (जियो डिजिटल फाईबर प्रा० लि०) द्वारा जमुई एवं बाँका जिलान्तर्गत झाझा–कटोरिया पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.37812 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु स्टेट कॉर्डिनेटर, बिहार, पटना का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। परियोजना का निर्माण दो वन प्रमंडलान्तर्गत होना है जिसमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं पातित होने वाली वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	पातित होने वाली वृक्षों की संख्या
1	जमुई	0.17262	0
1	बाँका	0.2055	0
	कुल	0.37812	0

3. प्रस्तावित ऑप्टिकल फाईबर केबल जमुई एवं बाँका जिलान्तर्गत अधिसूचित पथ (वन भूमि) किनारे से होकर गुजरती है। यह पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 921 (E) दिनांक 28.08.1997 द्वारा अधिसूचित है। इस क्रम में तालिका के अनुसार कुल 0.37812 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं शून्य वृक्षों के पातन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई एवं बाँका तथा वन संरक्षक, भागलपुर द्वारा किया गया है। दोनों वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। दोनों वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि किसी वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई एवं बाँका द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व क्रमशः 0.3 एवं 0.1 अंकित किया गया है। ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन को मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference Map ऑन लाईन में प्रर्दशित है।

5. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, जमुई एवं बाँका द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

6. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. Optical fiber Cable प्रस्ताव हेतु NPV देय नहीं है।
3. यद्धपि परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन नहीं किया जा रहा है परन्तु हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के मानक दर एवं वर्तमान मजदूरी दर पर राशि रू० 7,16,466/– देय होगी।

प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय, जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

19.2.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

O/C